

श्री जी.एस. इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साईंस, इन्डौर

पोमेछा / 2024-25 / 686

दिनांक 24 / 10 / 2024

आवश्यक- सूचना

25 OCT 2024

विषय :- वर्ष 2024-25 हेतु अनुसूचित जाति के नवीनीकरण (द्वितीय डिप्लोमा से प्रवेशित नहीं, तृतीय, चतुर्थ वर्ष) के विद्यार्थियों को पोर्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करने बाबद।

अनुसूचित जाति के नवीन / नवीनीकरण के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक 2024-25 में जमा किये शिक्षण शुल्क की वापसी चाहते हैं, राज्य शासन द्वारा संघे विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा की जावेगी, इस हेतु बैंक खाते को आधार से लिंक कराना आवश्यक है।

A) विद्यार्थियों के माता पिता की वार्षिक आय के अनुसार शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के नियम निम्नानुसार हैं :—

क	वर्ग	माता / पिता की वार्षिक आय	छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क हेतु पात्रता
1	अनुसूचित जाति	रु 2,50,000/- तक	छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क आदि नियमानुसार
2	अनुसूचित जाति	रु 2,50,001/- से 8,00,000/- तक	केवल शिक्षण शुल्क, छात्रवृत्ति नहीं

B) पोर्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑन लाईन आवेदन फार्म आदिम जाति कल्याण विभाग की वेबसाईट www.mptass पर ऑन-लाईन आवेदन जमा करना अनिवार्य है, जिसकी हार्ड कापी निम्नलिखित दस्तावेजों सहित पोर्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (लेखा विभाग) में दिनांक 15/11/2024 तक जमा करें, जिसके अभाव में छात्रों को शिक्षण शुल्क इत्यादि कि प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं रहेगी।

C) अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकृत हेतु अदिवासी विकास कल्याण (आदिम जाति कल्याण विभाग) इन्डौर को प्रस्ताव स्वीकृत हेतु भेजा जावेगा। इस हेतु आवेदन के साथ में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :—

- 1) एडमिशन स्लीप / चालान / अलॉटमेन्ट लेटर की छाया प्रति संलग्न करें।
 - 2) उत्तीर्ण अंक सूची :— विगत दो वर्षों की अंक सूची की फोटो कापी
 - 3) स्थायी जाति प्रमाण पत्र :— एस.डी.एम. द्वारा जारी ही मान्य। 4) मूल निवासी प्रमाण पत्र।
 - 5) अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों के आय प्रमाण पत्र हेतु
- अ) तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र। ब) शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जिसमें समस्त प्रकार के वेतन, भत्ते, मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हो, वर्ष 2022-23 का नियोक्ता द्वारा जारी फार्म 16 ए। अगर माता पिता दोनों कार्यरत हैं तो दोनों का अलग-अलग फार्म 16 ए प्रमाण पत्र।

- 6) बैंक खाता नम्बर की पास बुक की फाटो कापी जो आधार कार्ड व NPCI से लिंक हो।
 - 7) हितग्रही प्रोफाईल पजीयन की प्रति। 8) आधार कार्ड व समग्र आय.डी. कि प्रतिलिपि।
 - 9) अगर विद्यार्थी संस्थान के छात्रावास में रहता है छात्रावास का www.mptaasc पर आवेदन करें उसकी हार्ड कापी व वार्डन द्वारा जारी प्रमाण पत्र, चालान साथ में जमा करें।
- D) समस्त विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति अनिवार्य है इसके अभाव में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क इत्यादि का भुगतान संभव नहीं है।
- E) उल्लेखनिय है कि राज्य शासन द्वारा शिक्षण शुल्क इत्यादि की प्रतिपूर्ति न करने या कम होने पर अंतर राशि संबंधित विद्यार्थियों द्वारा वहन की जावेगी।
- कृपया समस्त विद्यार्थी सावधानीपूर्वक नोट करें।

प्रतिलिपि :— 1) समस्त नोटिस बोर्ड / होस्टल।
2) संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

नोट:- सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु अपना बचत बैंक खाता NPCI से लिंक कराना आवश्यक है। जिन विद्यार्थियों के रिजल्ट एम.पी टास पोर्टल पर अपलोड नहीं है, वे स्कालरशिप विभाग में समक्ष में उपस्थित होकर अपना रिजल्ट अपडेट करवाये।


निदेशक